

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :-श्री सुखलाल वगैरह

विपक्षी :-लोगर वगैरह

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :-103/14 प्रा.पत्र

जीसीएमएस नम्बर :-2014/00020

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 29.01.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में मूल वाद आज दिनांक को आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जा चुका है। मूल वाद आंशिक स्वीकार हो जाने से अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। ऐसे में अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	